



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2019/चैत्र 15, 1941

No. 1352]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2019/CHAITRA 15, 1941

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

**का.आ. 1531(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ उनचासवां संशोधन नियम, 2019 है।  
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,-
  - (i) "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. पशुपालन और डेरी विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
    - "6क. गौशाला और गौसदन।
    - 6ख. कांजीहौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले।
    - 6ग. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
    - 6घ. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)।";

- (ii) "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 34, प्रविष्टि 35, प्रविष्टि 36 और प्रविष्टि 37 का लोप किया जाएगा।

राम नाथ कोविन्द  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/17/2015-मंत्रि.(खंड-1)]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

## CABINET SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

**S.O. 1531(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Forty Ninth Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,-
  - (i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)", after entry 6, the following entries shall be inserted, namely:-
 

"6A. Gaushalas and Gausadans.  
6B. Matters relating to pounds and cattle trespass.  
6C. Prevention of cruelty to animals.  
6D. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).";
  - (ii) under the heading "MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)", entries 34, 35, 36 and 37 shall be omitted.

RAM NATH KOVIND  
PRESIDENT

[F. No. 1/21/17/2015-Cab.(Vol.I)]  
RACHNA SHAH, Jt. Secy.